राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7, सुल्तान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क, जयपुर–302016

फोन नम्बर 0141–4004914 **Website:-** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांकः– प. 16 ( )/काउ.(सत्र 2022–23)/रा.पै.मेडि.कौं/2023/08 **दिनांकः–** 13/1/23

:: विज्ञप्ति एवं विस्तृत दिशा निर्देश ::

(पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण सत्र 2022–23 में प्रवेश हेतु)

राजस्थान राज्य में राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल से मान्यता प्राप्त निजी एवं राजकीय महाविद्यालय/संस्थानों में निम्नलिखित पैरा मेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सत्र 2022–23 में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश लेने के लिए ऑनलाईन आवेदन–पत्र दिनांक 16.01.2023 से 17.02.2023 तक आमंत्रित किये जाते है। ऑनलाईन काउन्सलिंग 2022–23 का विस्तृत कार्यक्रम परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न हैः–

S.No.	Course Name
1	Diploma in Blood Bank Technology
2	Diploma in Cath Lab Technology
3	Diploma in Dialysis Technology
4	Diploma in ECG Technology
5	Diploma in EEG Technology
6	Diploma in Emergency and Trauma Care Technology
7	Diploma in Endoscopy Technology
8	Diploma in Medical Laboratory Technology
9	Diploma in Operation Theatre Technology
10	Diploma in Ophthalmic Technology
11	Diploma in Orthopaedic Technology
12	Diploma in Radiation Technology

आवेदन हेतु पात्रता/योग्यता की प्रमुख शर्ते निम्नानुसार है –

1. **शैक्षणिक योग्यता**

(i) अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता (10+2) उच्च माध्यमिक (Senior Secondary) हैं जो कि विज्ञान संवर्ग से रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान/गणित (Physics, Chemistry, Biology/Maths) एवं अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो।

(ii) यह परीक्षा अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर अथवा अन्य कोई शिक्षा बोर्ड जिसकी (10+2) की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा के समकक्ष हो, से उत्तीर्ण की हो। माध्यमिक शिक्षां बोर्ड राजस्थान अजमेर की समकक्षता सूची (अनुदेशिका) उनकी वैबसाइट के ***https://rajeduboard.rajasthan.gov.in/anudeshika-etc/Anudeshika-2020.pdf*** लिंक पर एवं कौंसिल की बेबसाईट ***www.rajasthanparamedicalcouncil.org*** पर भी उपलब्ध है।

(iii) सभी अभ्यर्थियों को उच्च माध्यमिक (Senior Secondary) की इस अर्हक परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/गणित (Physics, Chemistry, Biology/Maths) तथा अंग्रेजी विषयों में पृथक–पृथक रूप से भी उत्तीर्ण होना आवश्यक है जिसका सत्यापन संबंधित शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी उच्च माध्यमिक (Senior Secondary) के उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र(Passing/Peformance Certificate) से किया जावेगा। यदि कोई अभ्यर्थी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/गणित (Physics, Chemistry, Biology/Maths) तथा अंग्रेजी विषय में से पृथक रूप से किसी भी एक या अधिक विषय

में अनुत्तीर्ण पाया जाता है तो वह अभ्यर्थी प्रवेश हेतु शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करते हुए अयोग्य माना जावेगा।

(iv) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा माध्यमिक(Secondary)/10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् आई.टी.आई. अथवा पोलोटैक्नीक प्रशिक्षण प्राप्त करने को न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता (10+2) उच्च माध्यमिक (Senior Secondary) के समकक्ष मानते हुए आवेदन किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करते हुए अयोग्य माना जायेगा।

(v) अनारक्षित वर्ग (UR) एवं आर्थिक कमजोर वर्ग(EWS) के अभ्यर्थियों के लिए इस अर्हक उच्च माध्यमिक (Senior Secondary) परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक 45 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग(OBC), अति पिछड़ा वर्ग(MBC), अनुसूचित जाति(SC), अनुसूचित जनजाति(ST) एवं सहरिया वर्ग के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होना अनिवार्य है।

(vi) अभ्यर्थी द्वारा (10+2) उच्च माध्यमिक (Senior Secondary) की परीक्षा सत्र 2021–22 तक उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, सत्र 2021–22 के पश्चात् उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र नहीं होगे।

2. **आयु सीमा** : अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी ने दिनांक 31 दिसम्बर 2022 तक 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है।

3. **सीटों की संख्या**

(i) ऑनलाईन आवेदन पत्र स्वीकार करने के पश्चात् राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल से मान्यता प्राप्त निजी एवं राजकीय महाविद्यालय/संस्थानों की सूची एवं उनमें प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या (पाठ्यक्रमवार), विकल्प पत्र भरने के समय ऑनलाईन पोर्टल एवं विभाग की वैबसाईट पर उपलब्ध रहेगी।

(ii) काउन्सिलिंग प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पश्चात वर्तमान शिक्षण सत्र के लिए किसी भी महाविद्यालय को अनुमत सीटों में वृद्धि अथवा नवीन महाविद्यालय को काउन्सिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी, किन्तु किसी संस्थान की मान्यता समाप्त होने की स्थिति में ऐसे संस्थान में आवंटित अभ्यर्थियों को उनकी प्राथमिकता के आधार पर अन्य महाविद्यालयों में उपलब्ध रिक्त सीटों पर वरीयतानुसार आवंटन किया जायेगा।

4. **आरक्षण** : अभ्यर्थियों को महाविद्यालय/संस्थान आवंटन में राज्य सरकार के नियमानुसार उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण प्रावधानों का पालन किया जावेगा तथा आरक्षण रोस्टर में पाठ्यक्रवार उपलब्ध कुल सीटों पर लागू किया जायेगा।

5. **पाठ्यक्रम की अवधि एवं माध्यम** : सभी पाठ्यक्रमों की प्रशिक्षण अवधि 2 वर्ष रहेगी। सभी पैरा मेडिकल महाविद्यालय/संस्थानों में पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम प्रशिक्षण का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा तथा परीक्षा का प्रश्न पत्र हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में होगा, जिसका उत्तर हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में दिया जाना अनिवार्य होगा।

6. **प्रशिक्षण शुल्क** : संबंधित महाविद्यालय/संस्था द्वारा अभ्यर्थियों से अधिकतम निम्नानुसार शुल्क प्राप्त किया जायेगाः–

A. Tuition Fees – Rs. 35000 per year
B. Caution money – Rs. 5000 (once in Course duration and refundable after completion of course)
C. Uniform Fee – Rs. 1500 (Once in Course duration)

महाविद्यालय/संस्थान द्वारा ट्यूशन फीस के रूप में अभ्यर्थियों से 25000/– रूपये प्राप्त करेंगे। काउन्सलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त प्रवेश लेने के पश्चात् अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते समय जमा कराई गई अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क राशि 10000/– रूपये संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को कौंसिल द्वारा स्थानान्तरित कर दी जायेगी।

7. **आवेदन करने की प्रक्रिया एवं शुल्क :**

(i) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन सिर्फ ऑनलाईन माध्यम के द्वारा ही स्वीकार किया जावेगा। ऑफलाईन आवेदन के द्वारा कोई भी प्रवेश स्वीकार नहीं किया जावेगा। ऑनलाईन आवेदन अभ्यर्थी कौंसिल की वेबसाईट ***www.rajasthanparamedicalcouncil.org*** पर दिये गये लिंक ***Apply online application for admission in session 2022-23*** पर क्लिक कर स्वयं की SSO ID के माध्यम से कर सकता है। आवेदन करने के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश कौंसिल की वेबसाईट पर दिये गये लिंक ***Guidelines to fill admission form for session 2022-23*** पर क्लिक कर प्राप्त किये जा सकते हैं।

Note : SSO ID बनाने के लिए *www.sso.rajasthan.gov.in* पर जाकर वहाँ पर उपलब्ध विकल्प '*Register*' पर क्लिक कर SSO ID बनाई जा सकती है।

(ii) अनारक्षित वर्ग(UR), आर्थिक कमजोर वर्ग(EWS), अन्य पिछड़ा वर्ग(OBC) एवं अति पिछड़ा वर्ग(MBC) के अभ्यर्थियों को 1500/– (अक्षरे रूपये एक हजार पांच सो मात्र) आवेदन शुल्क तथा शेष अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 1000/– (अक्षरे रूपये एक हजार मात्र) आवेदन शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करना होगा। **यह शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा तथा किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं लौटाया जायेगा।**

(iii) **मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक F11(430)/DoIT&C/2021/03209/2021 दिनांक 08.09.2021 के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने हेतु समस्त अभ्यर्थियों को जन आधार कार्ड के नम्बर आवेदन पत्र में अंकित करना अनिवार्य है।**

8. **प्रवेश/काउन्सलिंग प्रक्रिया एवं शुल्क**

(i) काउन्सिलिंग प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने के लिए अन्तिम तिथि तक प्राप्त समस्त आवेदनों की आरक्षित श्रेणी अनुसार अतंरिम वरीयता सूची जारी की जायेगी। इस वरीयता सूची को कौंसिल की वैबसाइट पर प्रकाशित किया जाकर अभ्यर्थियों की आपत्तियाँ आमंत्रित की जायेंगी जिसके लिए 7 दिवस का समय दिया जावेगा। कौंसिल द्वारा प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर श्रेणीवार अन्तिम वरीयता सूची प्रकाशित की जायेगी।

(ii) इसके पश्चात काउन्सिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने के इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क राशि 10000/– (अक्षरे दस हजार रूपये मात्र) ऑनलाइन जमा करवाई जायेगी। जिसके उपरान्त ही अभ्यर्थी महाविद्यालय/संस्था एवं पाठ्यक्रम के समुच्चय (Combination) के विकल्प का चुनाव कर सकेगा। विकल्प में अधिकतम चार पाठ्यक्रमों का ही चयन कर सकते है किन्तु इन चयनित चार पाठ्यक्रमों के साथ संस्थानों/महाविद्यालयों के कितने भी समुच्चय (Combination) को विकल्प के रूप में भर सकते है। यहाँ यह ध्यान रहे कि केवल वही अभ्यर्थी काउन्सलिंग प्रक्रिया मे भाग ले सकेंगे, जिनके द्वारा यह राशि (रू. 10000/–) जमा करवाई जावेगी।

(iii) अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क 10000/– (अक्षरे दस हजार रूपये मात्र) का समायोजन काउन्सिलिंग प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी को महाविद्यालय/संस्थान आवंटन होने व उसके आवंटित कॉलेज में प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति प्रस्तुत कर प्रवेश लेने के पश्चात् प्रथम वर्ष के प्रशिक्षण शुल्क मे कर लिया जावेगा।

<u>नोट</u> : यदि किसी अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग प्रक्रिया के सभी राउण्ड उपरान्त महाविद्यालय/संस्थान आवंटित नहीं होता है तो इस सम्पूर्ण राशि को संबंधित अभ्यर्थी को **आवेदन करते समय दिये गये बैंक विवरण के खाते में** लौटा दिया जावेगा किन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाईन काउन्सिलिंग प्रक्रिया के किसी भी राउण्ड में महाविद्यालय/संस्थान आवंटित होने के उपरान्त भी संबंधित महाविद्यालय/संस्थान में प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति (Reporting) प्रस्तुत नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में इस राशि

में से रूपये 3000/– (अक्षरे तीन हजार रूपये मात्र) की राशि कौंसिल कोष में जमा की जाकर शेष राशि रूपये 7000/– (अक्षरे सात हजार रूपये मात्र) को संबंधित अभ्यर्थी को **आवेदन करते समय दिये गये बैंक विवरण के खाते में** लौटा दिया जावेगा।

(iv) समस्त पैरामेडिकल महाविद्यालयों/संस्थानों में अभ्यर्थी का आवंटन की कार्यवाही पूर्णतः अभ्यर्थी के (10+2) उच्च माध्यमिक (Senior Secondary) में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर बनाई गई वरीयता के आधार पर की जायेगी।

(v) अभ्यर्थी प्रवेश हेतु तीन ऑनलाइन काउन्सिलिंग व एक मॉप–अप राउण्ड काउन्सिलिंग आयोजित की जायेगी। राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा आयोजित समस्त ऑनलाइन व ऑफलाइन काउन्सिलिंग के उपरान्त भी यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान में सीटें रिक्त रहती हैं, तो ऐसी रिक्त सीटों पर अभ्यर्थी आवंटन के विषय के संबंध में कौंसिल का निर्णय अंतिम होगा।

नोट : यदि तीन चरणों की काउन्सिलिंग के पश्चात भी आरक्षित श्रेणी की सीटें रिक्त रहती हैं तथा उन्हें भरे जाने हेतु आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ऐसी रिक्त सीटों को मॉप–अप राउण्ड में अनारक्षित श्रेणी माना जाकर इसे वरीयता अनुसार आवंटित किया जा सकेगा।

(vi) प्रत्येक काउन्सलिंग के पश्चात् आवंटित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवंटन पत्र जारी कर संबंधित महाविद्यालय/संस्थान में उपस्थिति प्रस्तुत कर प्रवेश लेने हेतु समय दिया जावेगा। समय सीमा समाप्त होने के उपरांत कोई भी प्रवेश स्वीकार नहीं किया जावेगा तथा प्रत्येक काउन्सलिंग की रिपोर्टिंग के अंतिम दिवस के पश्चात् रिक्त रहीं सीटों का कौंसिल की वेबसाईट पर प्रकाशन किया जाकर आगामी काउन्सलिंग का आयोजन किया जावेगा।

यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रथम ऑनलाईन काउन्सलिंग में आवंटित महाविद्यालय/संस्थान में उपस्थिति प्रस्तुत न करते हुए प्रवेश नहीं लिया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को द्वितीय ऑनलाइन काउन्सलिंग में शामिल नहीं किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को काउन्सलिंग के तृतीय चरण में शामिल किया जायेगा। तृतीय काउन्सलिंग के पश्चात् मॉप–अप राउण्ड का आयोजन किया जावेगा, मॉप अप राउण्ड के पश्चात् शेष रिक्त रही सीटों पर प्रवेश पूर्व की भांति संस्थान/महाविद्यालय स्तर पर किया जावेगा।

(vii) प्रथम ऑनलाइन काउन्सलिंग एवं द्वितीय ऑनलाईन काउन्सलिंग में आवंटित संबंधित महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थियों को Upward Movement के लिए एक अवसर प्रदान किया जावेगा, जो केवल Upward Movement के लिए हाँ अथवा ना के विकल्प के रूप में उपलब्ध रहेगा, जिसमें महाविद्यालय/संस्थान एवं पाठ्यक्रम के समुच्चय (Combination) के विकल्प की वरीयता में कोई परिवर्तन अंनुमत नहीं किया जावेगा।

Upward Movement : जिन अभ्यर्थियों को प्रथम ऑनलाइन काउन्सिलिंग एवं द्वितीय ऑनलाईन काउन्सलिंग में सीट आवंटन हो चुकी है तथा उनके द्वारा संबंधित महाविद्यालय/संस्थान में रिपोर्टिंग व जॉइनिंग भी कर ली गई है वे अभ्यर्थी ही Upward Movement हेतु पात्र होंगें।

प्रक्रिया – Upward Movement केवल् रिक्त रही सीटों पर ही किया जायेगा। Upward Movement में अभ्यर्थी प्रथम काउन्सिलिंग एवं द्वितीय ऑनलाईन काउन्सलिंग के आवेदन के दौरान भरी गई आवंटित महाविद्यालय/संस्थान एवं पाठ्यक्रम के समुच्चय (Combination) के विकल्प से उच्चतर वरीयता के विकल्प के रूप भरी गई रिक्त (यदि कोई हो तो) सीटों पर प्रवेश लेना चाहते हैं, तो वे प्रथम ऑनलाईन एवं द्वितीय ऑनलाईन काउन्सिलिंग के उपरान्त Upward Movement का विकल्प भर सकते हैं (अर्थात् उदाहरणतः यदि किसी अभ्यर्थी को उनके विकल्पों के अनुसार 5 वीं वरीयता के विकल्प की सीट आवंटित हुई हो, तो वे Upward Movement के माध्यम से विकल्प वरीयता क्रम में 1 से 4 की सीटों पर रिक्त होने की अवस्था में नवीन आवंटन हेतु पात्र होंगे)। ऐसे अभ्यर्थी Upward Movement: Yes/No का विकल्प भर सकेंगे।

अतः यह विकल्प देने से पूर्व अभ्यर्थी आवेदन पत्र के समय भरे गये विकल्पों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर पूर्ण विचार कर लेवें। किसी अभ्यर्थी द्वारा Upward Movement के उपरान्त उच्चतर वरीयता के विकल्पों में से कोई भी एक विकल्प की सीट आवंटित होने पर पूर्व काउन्सिलिंग में आवंटित सीट अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई दावा (Claim) किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

Upward Movement होने की अवस्था में अभ्यर्थी को पूर्व काउन्सिलिंग में आवंटित महाविद्यालय/संस्थान एवं पाठ्यक्रम के समुच्चय (Combination) के विकल्प की सीट का आवंटन स्वतः ही रद्द हो जायेगा और उन्हें उच्चतर वरीयता के महाविद्यालय/संस्थान एवं पाठ्यक्रम के समुच्चय (Combination) का विकल्प आवंटित हो जायेगा। इस नवीन आवंटन में अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजात व फीस Upward Movement में आवंटित महाविद्यालय/संस्थान को पूर्व आवंटित महाविद्यालय/संस्थान द्वारा स्वतः ही अन्तरित (Transfer) की जायेगी। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा Upward Movement के अन्तर्गत नवीन आवंटित सीट पर जॉइन/रिपोर्ट नहीं किया जाता है, तो उन्हें उनके मूल दस्तावेज पूर्व आवंटित महाविद्यालय/संस्थान द्वारा लौटा दिये जायेगे तथा अभ्यर्थी के द्वारा जमा कराई गई फीस की राशि को संबंधित महाविद्यालय/संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को न लौटाया जाकर कौंसिल के खाते में जमा कराया जायेगा। यदि ऐसे अभ्यर्थी द्वारा मॉप–अप राउण्ड काउन्सिलिंग में भाग लिया जाकर आवंटित महाविद्यालय/संस्थान में जॉईन करता है तो कौंसिल द्वारा इस फीस को अभ्यर्थी के जॉइन करने के उपरान्त नवीन आवंटित महाविद्यालय/संस्थान को हस्तांतरित कर दिया जायेगा। अगर अभ्यर्थी तृतीय काउन्सिलिंग में आवंटित महाविद्यालय/संस्थान में भी जॉईन नहीं करता है तो ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा कराई गई फीस Not Refundable है।

Upward Movement हेतु उदाहरणतः(For Example) : मान लीजिये एक अभ्यर्थी श्री सुरेश कुमार ने प्रथम बार आवेदन–पत्र भरते समय महाविद्यालय/संस्थान एवं कोर्स के अपने विकल्प वरीयतानुसार निम्नलिखित क्रम में प्रस्तुत किये थे –

विकल्प संख्या	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम
1	क	A
2	क	B
3	ख	A
4	ग	A
5	ग	B

प्रथम काउन्सिलिंग के पश्चात् श्री सुरेश कुमार को उनके विकल्प 5 के अनुसार महाविद्यालय/संस्थान **ग** एवं पाठ्यक्रम **B** आवंटित किया गया और श्री सुरेश कुमार ने महाविद्यालय/संस्थान **ग** में प्रवेश प्राप्त कर लिया है तो अब वह Upward Movement के लिए योग्य माना जावेगा। श्री सुरेश कुमार Upward Movement के लिए Yes कर Upward Movement में शामिल होता है तो श्री सुरेश कुमार को उनकी विकल्प संख्या 1 से 4 में वरीयतानुसार रिक्त सीट होने पर महाविद्यालय/संस्थान एवं पाठ्यक्रम आवंटित किया जावेगा।

यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य है कि Upward Movement के दौरान अभ्यर्थी को रिक्त सीट होने पर आवंटित महाविद्यालय/संस्थान, पाठ्यक्रम अथवा दोनो पूर्व में आवंटित विकल्प से भिन्न हो सकते है। जैसे कि ऊपर दिये गये उदाहरण में यदि श्री सुरेश कुमार को विकल्प संख्या 3 आवंटित होता है तो महाविद्यालय/संस्थान एवं पाठ्यक्रम दोनों भिन्न होंगे, यदि विकल्प संख्या 4 आवंटित होता है तो केवल पाठ्यक्रम भिन्न होगा और यदि विकल्प संख्या 2 आवंटित होता है तो केवल महाविद्यालय/संस्थान भिन्न होगा।

(viii) यदि समस्त राउण्ड की काउन्सिलिंग के सम्पन्न होने पर यदि ऐसा पाया जाता है कि सम्पूर्ण राज्य में किसी पाठ्यक्रम विशेष में 20 से कम अभ्यर्थियों का प्रवेश होता है, तो इस पाठ्यक्रम विशेष में प्रवेश नहीं दिया जाकर ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य उपलब्ध पाठ्यक्रमों की तत्समय उपलब्ध रिक्त सीटों का विवरण उपलब्ध कराया जाकर उनके इन सीटों पर प्रवेश के लिए महाविद्यालय/संस्थान एवं पाठ्यक्रम के समुच्चय (Combination) के विकल्प पत्र प्राप्त किये जायेंगे, जिन पर अंकों की वरीयता अनुसार कॉलेज व पाठ्यक्रम आवंटित किया जायेगा। यदि ऐसे अभ्यर्थी किसी भी

पाठ्यक्रम में प्रवेश न लेना चाहें, तो उन्हें फीस की सम्पूर्ण राशि का प्रतिदाय संबंधित महाविद्यालय/संस्थान द्वारा कर दिया जायेगा।

9. **रिर्पोटिंग के समय की प्रक्रिया** : महाविद्यालय/संस्थान के आवंटन पश्चात् आवंटित महाविद्यालय/संस्थान में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत कर प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों से कौंसिल के द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों व नियमों के अनुसार निम्नांकित मूल दस्तावेज प्राप्त कर सूक्ष्मता से परीक्षण किया जाकर उनका सत्यापन किये जाने के उपरांत ही प्रवेश अनुमत किया जावेगा। **यदि कौंसिल द्वारा नामांकन हेतु दस्तावेज जाँच किये जाने के समय यह जानकारी में आता है कि महाविद्यालय/संस्थान द्वारा दस्तावेज पूर्ण नहीं होने अथवा दस्तावेज नियमानुसार नहीं होने के उपरान्त भी अभ्यर्थी को प्रवेश अनुमत किया है, तो ऐसी परिस्थिति में संबंधित महाविद्यालय/संस्थान पर ऐसे प्रत्येक प्रकरण के लिए रू. 10000 की शास्ति राशि आरोपित की जायेगी तथा अभ्यर्थी के अपात्र होने की स्थिति में प्रवेश भी रद्द किया जा सकता है।**

उपस्थिति के समय चाहे गये आवश्यक दस्तावेज

A. 10वीं/माध्यमिक **(Secondary)** कक्षा की अंक तालिका एवं उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र

B. 12वीं/उच्च माध्यमिक **(Senior Secondary)** कक्षा की अंक तालिका एवं उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र

अभ्यर्थी द्वारा उच्च माध्यमिक (Senior Secondary) परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/गणित (Physics, Chemistry, Biology/Maths) तथा अंग्रेजी विषयों में पृथक–पृथक रूप से भी उत्तीर्ण हो साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर अथवा अन्य कोई शिक्षा बोर्ड जिसकी (10+2) की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा के समकक्ष हो, से उत्तीर्ण की हो।

C. प्रव्रजन प्रमाण–पत्र **(Migration Certificate)** जहाँ से अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो।

D. मूल निवास/बोनाफाईड प्रमाण–पत्र **(Domicile/Bonafied Certificate)**

E. जाति प्रमाण–पत्र यदि लागू हो तो

नोट 1 : अन्य पिछडा वर्ग(OBC) प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना स्वीकार्य नहीं होगा, किन्तु एक वर्ष से अधिक पुराने प्रमाण पत्र के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसरण में अन्य पिछडा वर्ग(OBC) के प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक पुराने होने पर क्रीमीलेयर श्रेणी में नहीं होने से संबंधित सत्यापित शपथ पत्र **(संलग्न)** प्रस्तुत करना होगा, किन्तु यह शपथ पत्र केवल तीन वर्ष से कम पुराने अन्य पिछडा वर्ग(OBC) के प्रमाण–पत्रों के लिए ही मान्य होगा, अर्थात् तीन वर्ष से पुराने अन्य पिछडा वर्ग(OBC) के प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होंगे।

नोट 2 : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 15265 दिनांक 23.02.2018 तथा संशोधित परिपत्र क्रमांक 15633 दिनांक 27.02.2018 एवं परिपत्र क्रमांक 36546 दिनांक 21.06.2019 के अनुसरण में अति पिछड़ा वर्ग(MBC) प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों को अति पिछड़ा वर्ग(MBC) श्रेणी में आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। साथ ही इन्ही परिपत्रों के प्रावधानानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग(OBC) के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी जाति अति पिछड़ा वर्ग(MBC) की जाति यथा 1. बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाड़िया लोहार, गालोडिया 3. गुज्जर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी, देबासी 5. गड़रिया (गाडरी), गायरी अन्य पिछड़ा वर्ग(OBC) के प्रमाण पत्र में अंकित हो, तो उन्हें अति पिछड़ा वर्ग(MBC) में सम्मिलित माना जायेगा।

नोट 3 : आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रपत्र में EWS प्रमाण–पत्र जो सत्र 2022–23 के लिए जारी किया गया है, वहीं मान्य होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के व्यक्तियों को जारी किये जाने वाले Income & Asset Certificae की वैद्यता के संबंध में शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11()/आ.क. व/डीडीबीसी/सान्याअवि/19/28046 दिनांक 06.05.2022 के अनुरूप कार्यवाही की जावें।

F. अन्य कोई प्रमाण पत्र यथा दिव्यांगजन (PH), सैन्यजन(WDD/WPP), विधवा/तलाकशुदा(Widow/Divorcee) आदि (यदि लागू हो तो)
G. फोटोयुक्त पहचान–पत्र जो आपने आवेदन करते समय अपलोड किया हो अथवा आधार कार्ड
H. Physical Fitness Certificate जो किसी राजकीय चिकित्सालय द्वारा जारी किया गया हो तथा जिस पर Dispatch Number/OPD Number तथा दिनांक स्पष्टतया अंकित हो।

नोटः– यदि अभ्यर्थियों द्वारा मौखिक रूप से अवगत करवाया गया है कि उनके मूल दस्तावेज कहीं खो गये है, इसलिए उनके द्वारा डुप्लीकेट दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है, इस संबंध में समस्त महाविद्यालय/संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी भी अभ्यर्थी के पास डुप्लीकेट दस्तावेज है या पूर्व में काउन्सलिंग के दौरान आपको प्रस्तुत किये गये है तो ऐसे अभ्यर्थियों से थाने में दर्ज रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्राप्त की जावे, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि अभ्यर्थी के मूल (Orignal) दस्तावेज कहीं खो गये है तथा अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र भी लिया जाये कि वह अन्य कोई रेगूलर प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर रहा है, यदि ऐसा किया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी।

(कैलाश नारायण मीना)
आर.ए.एस.
रजिस्ट्रार

क्रमांकः– प. 16 ( )/काउ.(सत्र 2022–23)/रा.पै.मेडि.कौं/2023/08 **दिनांकः**–13/1/23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान् शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर को उनके द्वारा प्रदान की गई सहमति के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
4. निदेशक (तकनीकी), राजकोम्प (R.I.S.L.) जयपुर को भेजकर लेख है कि ऑनलाईन काउन्सलिंग का कार्य उक्त कार्यक्रम के अनुसार सम्पादित करवावें।
5. प्रधानाचार्य, संबंद्ध समस्त पैरामेडिकल राजकीय व निजी महाविद्यालय/संस्थान, राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. सर्वररूम प्रभारी, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल को भेजकर लेख है कि विभागीय वैबसाईट पर आज ही अपलोड करावें।
7. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार

परिशिष्ठ 'अ'

पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की ऑनलाईन काउन्सलिंग 2022–23 का कार्यक्रम

काउन्सलिंग हेतु आवेदन प्रस्तुत करना		
क्र.सं.	पंजीयन	तिथि / दिनांक
1	आवेदन करने की तिथि	दिनांक 16.01.2023 से
2	आवेदन की अन्तिम तिथि	दिनांक 17.02.2023 तक
3	अस्थाई (Provisional) वरीयता सूची जारी करने की तिथि	दिनांक 21.02.2023
4	ऑन लाईन आवेदन के उपरान्त जारी वरीयता सूची के संबंध में आपत्तियाँ प्रस्तुत करने की तिथि	दिनांक 22.02.2023 से दिनांक 28.02.2023 तक
5	अस्थाई (Provisional) वरीयता सूची के संबंध में आपत्तियाँ निस्तारण करने की तिथि **(कार्यालय स्तर पर)**	दिनांक 01.03.2023 से दिनांक 04.03.2023 तक
6	अन्तिम वरीयता सूची जारी करने की तिथि	दिनांक 10.03.2023
	प्रथम ऑनलाईन काउन्सलिंग	
1	काउन्सलिंग हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत करने एवं अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क राशि 10,000 / – रूपये जमा कराने की तिथि	दिनांक 15.03.2023 से दिनांक 24.03.2023 तक
2	प्रथम काउन्सलिंग हेतु आवंटन पत्र जारी करने की तिथि	दिनांक 31.03.2023
3	महाविद्यालय / संस्थान में उपस्थिति (Reporting) प्रस्तुत करने की तिथि	दिनांक 31.03.2023 से दिनांक 06.04.2023 तक
	प्रथम काउन्सलिंग के पश्चात् अपवर्ड मूवमेन्ट	
1	अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत करनें की तिथि	दिनांक 10.04.2023 से दिनांक 13.04.2023 तक
2	आवंटन पत्र जारी करने की तिथि	दिनांक 19.04.2023
3	महाविद्यालय / संस्थान में उपस्थिति (Reporting) प्रस्तुत करने की तिथि	दिनांक 19.04.2023 से दिनांक 24.04.2023 तक
	द्वितीय ऑनलाईन काउन्सलिंग	
1	द्वितीय काउन्सलिंग हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत करने एवं अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क राशि 10,000 / – रूपये जमा कराने की तिथि **(जिन्होंने पूर्व में राशि जमा नहीं करवाई है)**	दिनांक 25.04.2023 से दिनांक 29.04.2023 तक
2	द्वितीय काउन्सलिंग हेतु आवंटन पत्र जारी करने की तिथि	दिनांक 03.05.2023
3	महाविद्यालय / संस्थान में उपस्थिति (Reporting) प्रस्तुत करने की तिथि	दिनांक 03.05.2023 से दिनांक 09.05.2023 तक
	द्वितीय काउन्सलिंग के पश्चात् अपवर्ड मूवमेन्ट	
1	अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	दिनांक 11.05.2023 से दिनांक 15.05.2023 तक
2	आवंटन पत्र जारी करने की तिथि	दिनांक 19.05.2023
3	महाविद्यालय / संस्थान में उपस्थिति (Reporting) प्रस्तुत करने की तिथि	दिनांक 19.05.2023 से दिनांक 24.05.2023 तक
	तृतीय ऑनलाईन काउन्सलिंग	
1	काउन्सलिंग हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत करने एवं अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क राशि 10,000 / – रूपये जमा कराने की तिथि **(जिन्होंने पूर्व में राशि जमा नहीं करवाई है)**	दिनांक 29.05.2023 से दिनांक 03.06.2023 तक
2	तृतीय काउन्सलिंग हेतु आवंटन पत्र जारी करने की तिथि	दिनांक 07.06.2023
3	महाविद्यालय / संस्थान में उपस्थिति (Reporting) प्रस्तुत करने की तिथि	दिनांक 07.06.2023 से दिनांक 15.06.2023 तक
4	तृतीय ऑनलाईन काउन्सलिंग के पश्चात् अपवर्ड मूवमेन्ट नहीं किया जायेगा	

नोटः– उपरोक्त कार्यक्रम में आंशिक संशोधन का अधिकार कौंसिल के पास रहेगा।

रजिस्ट्रार

अन्य पिछडा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर का समयावधि एक/दो वर्ष वृद्वि का शपथ – पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... उम्र .... वर्ष
निवासी .... तहसील .... जिला .... राजस्थान शपथपूर्वक निम्न प्रकार बयान/घोषणा करता/करती हूँ कि –

1. राज्य के पिछडे वर्ग का होने तथा क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) के नहीं होने के संबंध मुझे सक्षम अधिकृत (कार्यायल का नाम) .... से क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा तीन वर्ष के लिए प्रमाण–पत्र जारी हुआ था।
2. मेरी समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय के अनुसार आगामी एक वर्ष के लिए भी मैं राज्य सरकार द्वारा घोषित क्रीमीलेयर की सीमा में नहीं हूँ।
3. मैं शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि यह तथ्य मेरी जानकारी में हैं कि इस शपथ–पत्र में अंकित तथ्य का गलत अथवा मिथ्या होना भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मै शपथर्वूक घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त शपथ–पत्र की मद संख्या 1 से 3 तक मेरी निजी जानकारी में सत्य एवं सही है। इसमें कोई भी तथ्य नहीं छुपाया गया हैं और ना ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

प्रमाणीकरण

उपरोक्त शपथकर्ता मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... उम्र .... वर्ष निवासी .... तहसील .... जिला .... राजस्थान ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है जिसे प्रमाणिकृत किया जाता है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

स्थान :
दिनांक :

प्रमाणिकरण अधिकारी (कार्या पालक मजिस्ट्रेट) /नोटेरी पब्लिक का नाम व पद मय सील

आर्थिक कमजोर वर्गो (EWS) के व्यक्तियों को जारी किये जाने वाले Income & Asset Certificate की वैधता हेतु शपथ पत्र

शपथ–पत्र

(वित्तिय वर्ष..................)

आवेदक के परिवार के मुखिया का जनाधार कार्ड संख्या	

1. मैं ______ पुत्र/पुत्री/पति/ श्री ______

निवासी ______

गांव/शहर ______ तहसील ______ जिला ______

राजस्थान का/की हूं। मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूं कि मैं राजस्थान के राज्य के लिये निर्धारित आर्थिक कमजोर वर्ग के मापदण्डों को वितिय वर्ष .... के लिये अर्हाता रखता/रखती हूं। मेरे परिवार की वार्षिक आय निर्धारित आठ लाख रू से कम है ।

2. मुझे उपखण्ड अधिकारी.............................. जिला.......................... द्वारा आर्थिक कमजोर वर्ग के लिये Income & Asset Certificate क्रमांक.............................. दिनांक.. जारी किया गया है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त विशिष्ठियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं, और मैं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित पदो के लिए विचार किये जाने का पात्र हूं। चयन के पूर्व या पश्चात् किसी भी सूचना के मिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर मैं समझता हूं कि अभ्यर्थता/नियुक्ति/चयन रद्द कर दी जावेगी और मैं ऐसी कार्यवाही के लिये और उत्तरदायी होंउगा जो विधि और नियमों के विरूद्ध एवं प्रतिकूल होगी।

दिनांकः–.........................

स्थानः–...........................

हस्ताक्षर शपथग्रहिता